

प्रेषक: विदेशी, प्रशिक्षण एवं सेवाओं, भारत सरकार, नई दिल्ली।

सेवा में: प्रधानाचार्य/प्रबन्धक, अन्वयन-एचओ मेमोरियल औद्योगिक प्रशिक्षण केंद्र, रजनापुर नगर, दिल्ली।

संख्या: 4576/टी-3/21090/आरओ/संस्तुति/2010
 दिनांक: 28/7/11
 विषय: स्थायी समिति की निरीक्षण रिपोर्ट के आधार पर निजी औद्योगिक केंद्रों के व्यवसाय/युनिटों का स्थायी सम्बन्धन प्रदान किये जाने के बारे में महा निदेशालय, रजनापुर एवं प्रशिक्षण, सीपीआई/सीटीओ नई दिल्ली में गठित एक समिति द्वारा लिये गये निर्णय की सूचना के सम्बन्ध में।

श्रीमान, सरोवर विषय के सम्बन्ध में आपसे पूर्व प्राप्त किया जाता है कि भारत सरकार ने सम्बन्धित भारतीय समिति की निरीक्षण रिपोर्ट दिनांक 25-06-2010 पर दिनांक 29-04-2011 को महानिदेशालय, रजनापुर एवं प्रशिक्षण, नई दिल्ली में राष्ट्रीय व्यावसायिक प्रशिक्षण परिषद की एक समिति की बैठक सम्पन्न हुई। एक समिति द्वारा आपके कार्यालय से सम्बन्धित सार निरीक्षण रिपोर्ट के बारे में जो निर्णय लिया गया है, उसका सार प्रस्तुत अधोलिखित शीर्षक अन्तर्गत दिया जा रहा है:-

क्रम सं०	व्यवसाय/एकक जिसके लिए संस्थान/केन्द्र द्वारा स्थायी संबंधन या अनुबंध किया गया।	संस्तुति की गयी		अन्युक्ति
		स्थायी समिति द्वारा	सीपीआई/सीटीओ द्वारा	
1	2	3	4	5
1-	Electrician 02(1+1)	02(1+1)	02(1+1)	SCIR-25/06/10 w.e.f. Aug.2011 *1- One instructor qualification is ITI in Black Smithy. 2- Second instructor is ITI passed without trade. If both instructor is ITI in Draughtsman Civil. As per M.V.T norms out of two instructors one should be diploma and another ITI passed in concerned trade. Instructors having no experience certificate is not enclosed with Annexure-III
2-	Fitter 02(1+1)	02(1+1)	*Rejected	
3-	Draughtsman Civil 02(1+1)	02(1+1)	Rejected	

DGET-6/24/17/2011-TC DATED 29/04/2011

- प्रयोग किये गये संकेत:-
- (1) एचओ/सीपीआई/सीटीओ-स्थायी समिति की निरीक्षण रिपोर्ट
 - (2) एचओ/सीपीआई/सीटीओ-पूर्वक निरीक्षण रिपोर्ट
2. आपके अदेश की जाती है कि भारत सरकार द्वारा जारी नई कनिष्ठ/युनिटों का विवरण सम्बन्धित सरोवर अथवा अन्य अलग विस्तृत सार सहित दो प्रतियों में इस निदेशालय को अधिलेख प्रेषित करें। शेष अग्रिम कार्यवाही की जा सके।

विशेष - यह भी स्पष्ट किया जाता है कि भारत सरकार द्वारा यदि आपके संस्थान में संचालित व्यवसायों को सम्बन्ध प्रदान नहीं किया है तो आप इन व्यवसायों में बंधन न करें। इन व्यवसाय व्यवसायों के प्रशिक्षार्थियों को आपकी अखिल भारतीय व्यावसायिक परीक्षा में सम्मिलित नहीं कराया जायेगा, जिसका पूर्ण उत्तरदायित्व आपका होगा।

भवदीय
 (सहूल देव)

अपर निदेशक (अति/सिस्टी)

प्राप्त: / टी-3/21090/आरओ/संस्तुति/2010
 प्रशिक्षण निदेशालय को सूचनाएं एवं कार्रवाई करने के लिए
 (युक्त निदेशक (अति/सिस्टी) कार्यालय में इस आदेश के अंतर्गत कार्यवाही के लिए सूचनाएं भेजें।
 सार (अग्रिम संस्थान/केन्द्र) को भी अपने पत्र के साथ भेजें।
 संशोधन संस्थान/केन्द्र की कार्यवाही शुरू करें।
 नई दिल्ली।
 (युक्त निदेशक (अति/सिस्टी) कार्यालय में सूचनाएं भेजें।)

Manager
 M.N.S. Memorial Industrial Training Centre
 R. Jhansi Road, Newa-Belli